न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/163)

1. गंगाधर पुत्र कान्हा, जाति मीणा, निवासी बीघोता, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर निर्णय दिनांक 26.04.2022 अपील संख्या 12/06/2021 अनुवानी गंगाधर बनाम सरकार व निर्णय तहसीलदार राजगढ़ अलवर दिनांक 26.10.2020 प्रकरण संख्या 96/2020 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –27.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 26.04.2022 एवं तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.10.2020 द्वारा अपीलान्ट को वाके ग्राम बीघोता की आराजी खसरा नम्बर 728 रकबा 0.10, 729 रकबा 0.37, 731 रकबा 5.18 किता 3, कुल रकबा 5.65 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10, 0.37, 0.40 कुल रकबा 0.87 है0 में बाजरे की फसल काश्त किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 01 माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.10.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 26.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर दिनांक 26.10.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा दिनांक 26.04.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि पटवारी हल्का बीघोता ने दिनांक 06.08.2020 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नं0 728 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 729 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 731 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.87 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर बाजरा काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मिन अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिन अपीलान्ट/गैर सायल उपस्थित नही होने पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नोटिस क्रमांक 1859 दिनांक 03.09.2020 को रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाए गए। उसके उपरान्त भी गैर सायल अनुपस्थित रहा। गैर सायल बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.10.2020 को अपना निर्णय पारित करते हुए बेदखल करने व एक माह की सिविल कारावास व बतौर पेनल्टी 4.35 रूपये की पचास गुणा शास्ती 218 रूपये कायम करने के आदेश दिये। जिस आदेश से व्यथित होकर मिन अपीलान्ट ने एक अपील 12/06/2021 विद्वान तहत् न्यायालय में प्रस्तुत की। जो अपील भी मिन अपीलान्ट की दिनांक 26.04.2022 को खारिज फरमा दी गई।

ग्राम बीघोता बिस्वेदारी का गांव था। आराजी विवादित का तत्कालीन बिसवेदार विजय सिंह ने अपीलान्ट के पिता को विवादित आराजी काश्त के लिए बताई थी और अपीलान्ट का पिता कान्हा विवादित आराजी का बिस्वेदार का काश्तकार था। बिस्वेदारी समाप्त होने तक आराजी का लगान मिन अपीलान्ट के पिता बिस्वेदार विजय सिंह को देते चले आ रहे थे। बिस्वेदारी जब्त होने के पश्चात् मिन अपीलान्ट के पिता विवादित आराजी के खातेदार हो गए। मिन अपीलान्ट के पिता ने एक वाद संख्या 01/48 सन् 1997 उनवान कान्हा पुत्र मूल्या बनाम राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर अलवर व तहसीलदार, राजगढ जिला अलवर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 दायर किया कि आराजी खसरा नं० 729 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 731 रकबा 5.18 हैक्टेयर में से 25 एयर, खसरा नं0 550/2480 रकबा 1 हैक्टेयर, खसरा नं0 850 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नं0 730 रकबा 0.5 हैक्टेयर बाबत् दायर किया। जो वाद दिनांक 20.03.2001 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ में आंशिक रूप से डिक्री कर दिया। साथ ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह भी विवेचन किया कि मिन अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल ना करे।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.03.2001 को रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ का निर्णय व डिक्री प्रभाव में है और डिक्री प्रभाव में रहते हुए विचारण न्यायालय को विवादित आराजी के सम्बन्ध में 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही नही करनी चाहिए थी। बन्दोबस्त सम्वत् 2030 के पूर्व विवादित आराजी चारागाह भूमि नही थी और ग्राम बीघोता बिस्वेदारी का ग्राम था। बिस्वेदारों द्वारा विवादित आराजी मिन अपीलान्ट के पिता को काश्त के लिए बताई हुई थी तथा जमींदारी बिस्वेदारी अबोलेशन एक्ट जब प्रभाव में आया तो मिन अपीलान्ट के पिता विवादित आराजी पर काश्त करते थे और बिस्वेदार को लगान अदा करते थे। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट के पिता विवादित आराजी के कानूनन खातेदार काश्तकार हो गए लेकिन तहत् न्यायालय ने गौर नही किया।

मिन अपीलान्ट के पिता कान्हा के विरूद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत् तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई थी। जिसकी अपील अपीलान्ट के पिता ने अतिरिक्त कलेक्टर, अलवर के यहां दायर की गई। जिस अपील में तहसीलदार, राजगढ के आदेश को अपास्त करते हुए पत्रावली रिमाण्ड की गई लेकिन तहसीलदार राजगढ द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और मिन अपीलान्ट के खिलाफ अतिक्रमण मानते हुए यह कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 26.04.2022 अपील संख्या 12/06/2021 व निर्णय न्यायालय तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर दिनांक 26.10.2020 प्रकरण संख्या 96/2020 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट ने संवत 2077 में ग्राम बीघोता तहसील राजगढ, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नं0 728 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 729 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 731 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि चारागाह पर बाजरा काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 26.10.2020 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट नियमित अतिचारी है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.03.2001 के द्वारा कोई खातेदारी घोषणा नहीं की गई है जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त निर्णय का अमल नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड मे भूमि की किस्म वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार चारागाह भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रादभूत नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर